

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट पेमा वाली ढाणी तन बिरोल तह.	-बनाम-	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
--	--------	---

मुकदमा - दावा घोषणार्थ, नक्शा दुरुस्ती मु.नं. 127/2022

022 यह दावा वादी कि ओर से जरिये वकील श्री सज्जन चाहर ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 13.09.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकील सज्जन चाहर ने
उपरोक्त पत्रावली गत दिनांक 30/9/22 को
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकील सज्जन चाहर ने
उपरोक्त पत्रावली गत दिनांक 30/9/22 को
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश। वकील उभय पत्रावली
गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक
को पेश हों।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश। वकील उभय पत्रावली
गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक
को पेश हों।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

23/12/22
पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्रावली
गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक
को पेश हों।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 17/3/23 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 12/3/23 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश की गई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 26/2/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 31/8/23 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 19/10/23 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 14/12/23 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

14/12/23 वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील की प्रतीति का प्रमाण उपलब्ध है जो पत्र 01 R10 के लिये का "Not Pres" के कारण किये जाये। पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 7/3/24 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (सुन्दर)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (सुन्दर)

7/3/2024

वकील उभय पक्ष वकील उभय / TDR रिपोर्ट पत्रावली पर पेश हो चुकी है पत्रावली का करलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षों राज ठपस्थित है वकील उभय प्रहस वरुण व नमशा दुहली का है। पत्रावली को हीडालत दी जाती है कि प्रकरण में बिदुगा जवाब पेश न्यायालय को। प्रकरण के तहसीलदार नवलगाड़ को वरुण पत्र की प्रति के साथ तहसील वाले जवाब दाया पेश किये जाने हेतु जारी है पत्रावली क्रमांक दिनांक 30/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगाड़ (सु-सुन)

30/4/24

पत्रावली पत्र। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
यस आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक को पेश हो।

शाजाय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगाड़

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उभय। वकील वकील ने प्रकरण को नोट प्रेस कर जारी नहीं चलाना जारी किया। अतः प्रकरण नोट-प्रेस के आधार पर इमी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाव सुमाट टिकर दस नमवर से हम है तथा बाद तहसील जारी दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगाड़ (सु-सुन)

रीट
प्रेस
Seam